

दि पूर्णियाँ डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०,

कोर्ट कम्पाउन्ड, सहकारी भवन, पूर्णियाँ- 854301

निविदा संख्या- 352 / 22

सिक्योरिटी गार्ड कम्पनियों हेतु निविदा

यह बैंक अपनी शाखाओं के लिए 05(पांच) आर्म्स सिक्योरिटी गार्ड (सशस्त्र सुरक्षा गार्ड) उपलब्ध कराने हेतु प्रतिष्ठित एवं रजिस्टर्ड कम्पनियों से निविदा आमंत्रित करता है। सीलबंद निविदा दिनांक **26.10.2022** तक स्वीकार की जायेगी। विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट <http://www.dccbputnea.com> पर उपलब्ध है।

दिनांक :-10/10/2022

प्रबंध निदेशक

दि. पूर्णियाँ डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, पूर्णियाँ

मुख्य कार्यालय :- कोर्ट कम्पाउन्ड, पूर्णियाँ।

- I. तकनिकी निविदा :-  
तकनिकी निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।
- I. निविदादाता को अग्रधन राशि (Earnest money Deposit) के रूप में 25,000/- (पच्चीस हजार) रु० का “ डिमांड ड्राफ्ट ” प्रबंध निदेशक, दि पूर्णियाँ डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, पूर्णियाँ के पदनाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत तथा पूर्णियाँ में भुगतये हो, संलग्न होना चाहिये। यह राशि चयनित नहीं होने वाले निविदादाता को चयन प्रक्रिया समाप्ति के बाद वापस किया जायेगा।
- II. निविदादाता को निम्नलिखित निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।  
(क) कम्पनी के लिए कम्पनी एक्ट, 1956/2013 के अन्तर्गत (ROC) द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।  
(ख) पार्टनर-शिप फर्म के लिए पार्टनर-शिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (बिहार सरकार) द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।  
(ग) सोसाईटी/ट्रस्ट के लिए सोसाईटी निबंधन एक्ट, 1860/भारतीय ट्रस्ट, 1882 के तहत निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।  
(घ) प्रोपराईटर फर्म के लिए दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- III. निविदादाता का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वस्तु एवं सेवाकर, निबंधन प्रमाण-पत्र के साथ GST अद्यतन जमा किये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- IV. निविदादाता के ई०पी०एफ० (EPF) निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति के साथ विगत 6 माह का जमा किए गए कर्मियों का चलान (ECR) का छायाप्रति।
- V. निविदादाता को ई०एस०आई०सी० निबंधन की छायाप्रति के साथ विगत 6 माह का ई०एस०आई० का कर्मियों का Employee Details ई०एस०आई० जमा होने संबंधी अद्यतन रसीद की छायाप्रति।
- VI. निविदादाता को सुरक्षा सेवा कार्य हेतु PSARA Act 2025 के अन्तर्गत गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत सुरक्षा गार्ड का अद्यतन लाईसेन्स की छायाप्रति।
- VII. निविदादाता को सरकारी (भारत सरकार/राज्य सरकार)/ अर्धसरकारी संस्थान में विगत पाँच वित्तीय वर्षों में आर्म्स सुरक्षा गार्ड चलाने संबंधी अनुभव होना चाहिये। जिसके लिए संस्थान द्वारा निर्गत कार्यादेश एवं कार्य अनुभव कुशलता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा। बैंकिंग कार्य का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जायगी।
- VIII. निविदादाता के विगत तीन वित्तीय वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।



IX. निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगा जो अंकेक्षण प्रतिवेदन के समरूप होना चाहिये।

- (A) उपरोक्त दर पर ESIC, EPF सेवाशुल्क इत्यादि देय होगा।  
(B) चयनित निविदादाता को उपरोक्त कार्य के लिए अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कराना होगा जिसकी अवधि का निर्धारण बैंक द्वारा किया जाएगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अवधि विस्तार तथा कार्य असंतोषजनक पाए जाने अनुबंध रद्द करने का अधिकार बैंक प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदादाता को **Annexure-I** में अंकित नियमों का पालन वित्तीय निविदा में करना होगा जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।

नोट:-

1. वित्तीय निविदा का दर शब्द एवं संख्या में लिखा होना चाहिए तथा शब्द एवं संख्या के दर में किसी प्रकार का अन्तर या विवाद होता है तो बैंक प्रबंधन द्वारा गठित चयन समिति को इस पर निर्णय लेने अधिकार होगा। जो सबों को मान्य होना होगा।
2. निविदादाता का दर बराबर (Tie) हो जाने की स्थिति में निविदा का चयन करने का अधिकार बैंक प्रबंधन द्वारा गठित चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
3. निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर निविदादाता जो दूसरे अथवा तीसरे स्थान पर होंगे, को प्रथम स्थान पर रहने वाले निविदादाता के न्यूनतम अनुमोदित दर पर आदेश निर्गत किया जाएगा
4. किसी भी निविदादाता का एक से अधिक निविदा पाए जाने की स्थिति में उनका सभी निविदा रद्द कर दिया जाएगा
5. निविदा स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए। लिप्त लेखन (overwrite) वाले निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा
6. प्राप्त निविदा को बैंक प्रबंधन द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष प्रबंध निदेशक के कक्ष में खोला जाएगा निविदा खोलने की तिथि अलग से निर्धारित की जाएगी। निविदादाता की अनुपस्थिति में भी चयन समिति द्वारा निविदा खोला जाएगा।
7. जिस फर्म का तकनीकी निविदा चयन समिति द्वारा योग्य पाया जाएगा। उन्हीं का वित्तीय निविदा खोला जाएगा एवं सफल निविदादाता को एकरारनामा करने के पूर्व. मो0.50000/- (मो0 पचास हजार) रू0 मात्र का गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा।
8. सशस्त्र सुरक्षा गार्ड से बैंक की शाखा परिसर एवं बैंक द्वारा विस्तारित कैश काउन्टर कक्ष/कैश ट्रांजिट में सुरक्षा संबंधी सेवा ली जाएगी
9. आवश्यकतानुसार कर्मियों की संख्या बढ़ाई/घटाई जासकती है, इसके लिए बैंक प्रबंधन स्वतंत्र होगा।
10. ड्यूटी के समय कोई भी नशे की हालत अथवा कदाचार में पकड़े जाएंगे तो उन्हें तत्काल कार्य से मुक्त करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।
11. सरकार/बैंक प्रबंधन द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।



12. निविदा के किसी भी अंश को संशोधित करने या सभी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार करने या पूर्ण रूपेण अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी/चयन समिति के पास सुरक्षित होगा तथा बिहार सरकार के किसी भी संस्थान में असंतोषजनक कार्य करने वाले निविदादाता के संबंध में सूचना पाए जाने पर निविदा/एकरारनामा को अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जिला स्तर पर पूर्णियां न्यायालय तथा राज्य स्तर पटना उच्च न्यायालय होगा।
14. तकनिकी निविदा में समर्पित कागजात अपठनीय रहने की स्थिति में उस अंश की निविदा अस्वीकृत माना जाएगा।
15. चयनित निविदाता को प्रत्येक कर्मी का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, फोटो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, EPF कटौती एवं जमा रसीद की छाया प्रति संलग्न करना होगा
16. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा में संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का हस्ताक्षर, पृष्ठ संख्या अंकित होना चाहिए साथ ही संलग्न कागजातों का चेक लिस्ट भी होना चाहिए।

#### **ANNEXURE I-FINANCIAL BID**

We agree to provide services of security guard(s) (Armed & un-armed) & other semi skilled man power in the "The Purnea District Central Cooperative Bank Ltd." (Jurisdiction of Work Purnea, Araria & Kishanganj District) in accordance with the terms of contract and will be charging at the rate:

(Armed Security Guard per month (Only one rate to be quoted)	Amount in figures)	(Amount in words)

The bidder will be required to raise the invoice as prescribed under GST Act 2017 and rules therein .The Bank will pay the agency/bidder min. Wages, ESI, EPF, GST as per the prevailing rates notified by the concerned departments along with service charges per security guard(s) power per month, as per the financial bid quoted above by the bidder/agency.

1-The Financial bids, of the shortlisted bidder(s)/agency(s), from Technical Evaluation (matching eligibility criteria), will be Opened and the bidder who quotes the Lowest (L1) minimum cost for service charges, Per Arms Security Guard(s) per month, as per the least cost selection (LCS), will be selected bidder(s) Agency for providing security guard(s) in "The Purnea District Central Cooperative Bank Ltd.", under the, "Tender Notice For selection of Private security Agency (PSA) for providing services of Arms Security Guard(s) in "The Purnea District Central Cooperative Bank Ltd."



2- The Rates Quoted must be in Figures as well as in words. The above quoted rates should be inclusive of all taxes and duties excluding GST. GST will be paid by "The Purnea District Central Cooperative Bank Ltd." as per prevailing rates. If an agency/bidder quotes "Nil" Charges in consideration, The bid shall be treated as unresponsive and will not be considered.

3. The price quoted as per column of the financial bid offered, shall be valid for the entire contract period/extended period.

4. The rates offered shall remain firm and will not be subject to escalation of any description during the execution of the rate contract. The rate/s Offered will be inclusive of all applicable taxes/duties (Central and state), and uniform (summer, winter and rainy season) and liveries (mobile, torch with battery, whistle, umbrella, photo identity card etc.), excluding GST (as per the prevailing rates.)

5-The agency will have to submit evidence of payment of salary to Armed security guard(s) in their Bank account through Direct Benefit Transfer (DBT) On Monthly basis, along with ESI & EPF Submission Challan, to the by "The Purnea District Central Cooperative Bank Ltd." on quarterly Basis, and after compliance of this only, payment for subsequent month will be disbursed to the agency. It has to be ensured by the agency, that payment of salary/wages to Armed security guard(s) is as per the norms, explained in this tender Document.

Signature of Authorized Signatory:

Seal with Designation

Place:

